

क्रमांक:-एफ18()एफसीए/उवस/2025-26/1447

दिनांक :- 15/7/25

निमित्त,

अधिकांशी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जिला खण्ड अजमेर,
टोडरमल मार्ग, सिविल लाईन्स अजमेर(राजस्थान)

विषय:- Construction of B.T.Road from Majewala to Pachmata Proposal no
FP/RJ/ROAD/33196/2018 Area 0.87 ha

संदर्भ:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्रांक
191-192 दिनांक 25.01.2024 (कार्यालय को प्राप्त दिनांक 08.02.2024) एवं इस कार्यालय का पत्रांक
1276 दिनांक 09.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सन्दर्भित पत्र से विषयान्तर्गत प्रकरण मे उच्च कार्यालय द्वारा राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(31)वन/2022 जयपुर दिनांक 12.05.2023 से प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है। अतः उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अलग-अलग चार प्रतियों में मय सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति भिजवावे एवं मांग पत्र अनुसार राशि अविलम्ब जमा कराने हेतु आपको पत्र प्रेषित किया गया था। इस क्रम में आपके द्वारा आज दिनांक 15.07.2025 को पूर्व डिमांड नोट अनुसार राशि जमा कराने हेतु अवगत कराया गया है। इस क्रम में वर्तमान श्रमिक दरो 285/- अनुसार अंतर राशि निम्नानुसार जमा कराया जाकर बिन्दुवार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करावे ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(31)वन/2022 जयपुर दिनांक 12.05.2023 को जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय दिल्ली के पत्रांक 06.01.2022 के अनुसार नवीन एन पी वी राशि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि	वि.वि.
1	शर्त बिन्दु संख्या 10 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पालन होने पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वर्तमान दरो को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online submission & Monitoring of Forest & Wildlife clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करानी है। इस हेतु प्रकरण के भाग 2 में संलग्न 10 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव करने हेतु पूर्व में जारी डिमांड राशि 197333 को वर्तमान श्रमिक दर 285-/-को समायोजित करने पर अंतर राशि के रूप में अवशेष 19810/-रूपये अंतर राशि जमा करावे।	19810/-	कुल राशि रु. 19810/- को OSMFWCP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जावे।
क्र.सं. 1 का योग राशि		19810.00	

उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल ओएसएमएफडब्ल्यूसीपी द्वारा सृजित ई चालान से जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई चालान की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नं. की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण हो) एवं सभी बिन्दुओं की पालना मय अण्डरटेकिंग प्रेषित की जाये। साथ ही प्रकरण मे जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति भी पालना के साथ चार प्रति मे प्रस्तुत करे। तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

भवदीय,

उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :-सम/

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर को उनके संदर्भित पत्रांक के क्रम मे।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर।

दिनांक:-

उप वन संरक्षक
अजमेर